01

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 24-02-2021 जनपद सिद्धार्थनगर

गांव में दबंगई व मारपीट करने वाले चार अभियुक्तगण गिरफ्तार, थाना त्रिलोकपुर जनपद सिद्धार्थनगर

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा "अपराध की रोकथाम एंव अपराधियों की गिरफ्तारी" के सम्बन्ध में चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्री मायाराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर व श्री उमेश शर्मा क्षेत्राधिकारी डुमरियागंज के पर्यवेक्षण में एवं श्री रणधीर कुमार मिश्रा, प्रभारी निरीक्षक थाना त्रिलोकपुर के निर्देशन में दिनांक 23.02.2021 को थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 20/2021 धारा 147/452/323/504/506 भा0द0वि0 से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1. जमील पुत्र वकील अहमद 2. अफसर अली पुत्र छेदी, 3. जमाल अहमद पुत्र वकील अहमद, 4. मुख्तार अली उर्फ मक्खू पुत्र सल्लर साकिनान नावडीह थाना त्रिलोकपुर जनपद सिद्धार्थनगर जो सबल व प्रभावशाली किस्म के व्यक्ति है तथा जो घटना के दिन से ही फरार थे। जिनको मुखबिर की सूचना पर आज दिनांक 24.02.2021 को ग्राम नावडीह प्राइमरी स्कूल के पास से समय करीब 09.30 बजे उ0नि0 अजय कुमार यादव मय हमराही फोर्स द्वारा गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय/जेल भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण

1. जमील पुत्र वकील अहमद
2. अफसर अली पुत्र छेदी
3. जमाल अहमद पुत्र वकील अहमद
4. मुख्तार अली उर्फ मक्खू पुत्र सल्लर

निवासीगण नावडीह थाना त्रिलोकपुर जनपद सिद्धार्थनगर

गिरफ्तारी करने वाली टीम का विवरण

1. उ0नि0 श्री अजय कुमार सिंह यादव थाना त्रिलोकपुर जनपद सिद्धार्थनगर।
2. मुख्य आरक्षी रणविजय सिंह थाना त्रिलोकपुर जनपद सिद्धार्थनगर।
3. मुख्य आरक्षी ब्रम्हदेव यादव थाना त्रिलोकपुर जनपद सिद्धार्थनगर।

02

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 24-02-2021 जनपद सिद्धार्थनगर

यातायात नियमों का उल्लंघन कर फर्राटा भरने वाले वाहनों/व्यक्तियों का ई-चालान व सीज करने की कार्यवाही हेतु पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा समस्त क्षेत्राधिकारी/प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया है, इसी क्रम में आज दिनांक:- 24-02-2021 को जनपदीय पुलिस बल द्वारा एम0वी0 एक्ट के अंतर्गत 264 वाहनों को चेक किया गया तथा कुल 77 वाहनों का चालान कर ₹ 1,02,800/-शमन शुल्क वसूल किया गया।